मूल्य 1 रूपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 63 | अगस्त, 2018 | अंक 8 | कुल पृष्ठ 8

सभापति का पत्र :

शेष भाग (द्वितीय) मसौदा 'पंजाब राज्य किसान नीति'

V. नीति

2. सामाजिक–आर्थिक विकास

सरकार सभी किसानों, विशेषकर भूमिहीन मजदूरों, मझौले और छोटे किसानों का जीवनस्तर संतोषजनक और समानस्तर पर लाने का प्रयास करेगी।

इसीलिऐ सरकार को निम्नलिखित पर विशेष ध्यांन देना चाहिए:

i. मूल रोग संबंधी जांच और दवाईयां सस्ती दर पर उपलब्ध कराए, ताकि स्वास्थ्य पर खर्च होने वाले व्यय में कमी हो सके। राज्य अपने विद्यमान स्वासथ्य बीमा कार्यक्रम को केन्द्रीय सरकार की नई स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ मिलाऐ।

ii. ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए ताकि गाँव के विधार्थी भी शहरी विधार्थियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। प्रत्येक विषय और प्रत्येक कक्षा/वर्ग के लिए विषय वस्तु तैयार की जाए और सोशल मीडिया और फ्री टी.वी. चैनलों के माध्यम से इनका प्रचार करे। भौतिक कक्षाओं में निवेश करने के स्थान पर फ्लिप कक्षाओं में निवेश किया जाए। बेहतर रोजगार अवसरों के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को भी विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया जाए।

iii. कौशल विकास को प्रमुखता दी जाए और इसे मजबूत किया जाए। राज्य के उद्योगों में स्थानीय युवकों को महत्व दिया जाए। इसके लिऐ कृषि मजदूरों के लाभ के लिए एक अलग कौशल पंजी कार्यालय खोला जाए। ऐसा करने से कृषि क्षेत्र में और गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

iv. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक ही काम के लिए पुरूष और महिला मजदूरों को समान वेतन दिया जाए।

v. भूमिहीन, मझौले और छोटे किसानों को उत्पादन से अलग आय जैसी सहायता देने पर विचार किया जाए, ताकि उनकी नियमित आय बनी रहे, जो कि कभी निशचित नहीं हो पाती है।

vi. राज्य सरकार अपनी ओर से समान राशि देकर विद्यमान केन्द्रीय सरकार की अंशदान पैंशन योजना के अंतर्गत किसानों को पैंशन कवर उपलब्ध कराने की संभावना पर विचार करे।

vii. मासिक पैंशन में वृद्धि की जाए और इसका समय पर भुगतान हो।

viii. सामूहिक बीमा अथवा एक अलग निधि के माध्यम से कृषि मजदूरों के लिए आजीविका

में हानि होने पर उनको राहत दी जाए, जैसे की फसल खराब होने अथवा प्राकृतिक आपदा या फसल की कोई बीमारी और महामारी के कारण उन्हें हानि होती है।

ix. आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को राहत देने की नीति को और तर्कसंगत बनाया जाए।

x. पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा किए जा रहे कृषि कार्यों में कोई दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को प्रतिपूर्ति देने के कार्यक्रम की समीक्षा की जाए।

xi. मनरेगा के अंतर्गत अधिक परिवारों और क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इसके प्रति परिवार के कार्य दिवसों को बढ़ाया जाए और इस पर कारगर निगरानी रखी जाए।

xii. गैर–कृषि कार्यों के लिए ऋण लेने में कमी लाने के लिऐ कृषि मजदूरों के लिए वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान किया जाए।

xiii. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए आवास, ऋण और साफ–सफाई इत्यादि से संबंधित कल्याण योजनाओं को लागू करने की निगरानी करने के लिए जिला/ब्लॉक स्तर की समितियों का गठन किया जाए।

xiv. पंचायतों द्वारा भूमिहीन परिवारों को मुफ्त प्लॉट देने पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि राज्य के सभी भूमिहीनों को अपना घर मिल सके और मकान बनाने के लिऐ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाए। उन भूमिहीन किसानों की भी सहायता की जाए जिन्हें प्लॉट मिले थे लेकिन पैसे न होने के कारण वे उस पर मकान नहीं बना सके। मुफ्त प्लॉट लेने वालों द्वारा इसे बेचने पर उन्हें दंडित किया जाए।

xv. दुखी किसान परिवारों की पहचान करने के लिए एक ग्रामीण स्तर पर तंत्र बनाया जाए अथवा यह कार्य ग्राम सभा को दिया जाए और उन परिवारों को नियमित रूप से सलाह दी जाए तथा उनकी सहायता की जाए।

xvi. सामाजिक मीडिया की शक्ति को पुरानी सोच बदलने में उपयोग किया जाए और नशीले पदॉर्थों, आत्महत्या, अवसाद और अन्य मनोविज्ञान संबंधी मुद्दों का भी समाधान किया जाए।

xvii. गाँव के लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार पर जोंर दिया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के लिए ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

xviii. एक ऐसा अभियान भी चलाया जाए जो सामाजिक त्यौहारों पर अनावश्यक खर्चे पर रोक लगाए, जैसे कि जन्म, विवाह, मृत्यु आदि और इसके लिए एक अतिथि नियंत्रण आदेश तैयार किया जाए।

xix. पंजाब में किसानों की आत्महत्याओं के कारणों का पता लगाने के लिऐ एक विस्तृत अध्ययन किया जाए और उन कारणों की जांच को कारगर उपाय तैयार करने में उपयोग किया जाए।

3. जलवायु परिवर्तन, स्थायित्व और जैव–विविधता

पूरे पंजाब में तापमान और उमस में लगातार वृद्धि होने से यह नजर आता है कि जलवायु परिवर्तन का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, किंतु एक आशा की किरण यह है कि कुछ नीतियों में परिवर्तन किया जाए ताकि इन बुरे प्रभावों से बचा जा सके।

वनस्पति और पशुओं के संरक्षण और इन्हें बनाए रखने के लिए तथा कृषि अनुकूल जलवायु का स्तर बढ़ाने के लिऐ सरकार निम्नलिखित उपाय करेगी:

i. गाँव की सामान्य जमीन का उपयोग कृषि को बचाने के लिए, अपेक्षित जैव–विविधता उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। ऐसी भूमि पर धान की बिजाई की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गाँव में लगभग 1 हेक्टेयर जैव–विविधता रिजर्व की योजना बनाई जाए।

ii. जिन पौधों से पर्यावरण प्रभावित होता है उनके स्थान पर पूरे पंजाब में लाभदायक हरे–भरे पेड़–पौधे लगाए जाएं ताकि स्थानीय वनस्पति–जीव जंतु बढ़ सकें, जो कि जैव–विविधता के लिऐ और खतरे में पड़ चुकी स्थानीय प्रजातियों को बचाने के लिए अनिवार्य है।

iii. खेतों में जैव–विविधता आधारित फसलों और किस्मों की संख्या बढ़ाई जाए।

iv. खाद्य उत्पादन बनाए रखते हुए ग्रीन–हाऊस की गैस और अमोनिया तथा कॉर्बन की मात्रा कम करने के लिऐ भी एक योजना की आवश्यकता है। सरकार बॉयो–ईथॉनोल, सी.एन.जी, कम्पोसट, बॉयोचार, बिजली बनाने और ऐसे अन्य कार्यों के लिऐ बॉयोमास का उपयोग करने वाले को प्रोत्साहन दे।

v. एक दीर्घकालिक नीति खेती के विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार की गई है ताकि फसलों की पराली (अवशेषों) को नष्ट किया जा सके। पराली प्रबंधन समस्या के समाधान के लिऐ नए विचार मंगाने के लिऐ एक धान पराली चुनौती निधि की घोषणा की जा चुकी है।

vi. चावल की सीधी बिजाई, पराली बिलकुल न जलाने जैसे उन्नत कृषि कार्यक्रमों और पद्धतियों के लिऐ कॉर्बन–क्रेडिट का लाभ उठाने की संभावना का पता लगाया जाए।

4. भूमि

भूमि कृषि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका अधिकतम उपयोग करने के लिए सरकार निम्नलिखित पर विचार करेगी:

i. अच्छी कृषि भूमि का उपयोग किसी गैर कृषि कार्य के लिए तब ही अनुमत किया जाए जब अन्य कोई विकल्प न बचे।

ii. पट्टे पर भूमि देने के लिए कानून बनाया जाए।

iii. विरासत में मिली संपत्ति और भूमि को 6 महीने के अंदर 'तकसीम' कराना अनिवार्य किया जाए और भूमि को टुकड़ों में न बंटने दिया जाए।

iv. भूमि के कागजों के लिए भी 'तकसीम' अनिवार्य करें और यह कार्य और सरल किया जाए। इस कार्य की जिम्मेवारी उप–जिला मजिस्ट्रेट और तहसीलदार की होगी।

v. गाँव वासियों के सामान्य उपयोग हेतु गाँव की कॉमन भूमि को वापिस लिया जाए। प्रशासन को यह दायित्व सौंपा जाए की कॉमन भूमि का उपयोग केवल किसान समुदाय के उपयोग में ही किया जाए।

vi. सहकारी संस्थाओं/समितियों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामाजिक रूप से पिछड़े किसानों को कृषि के लिए गाँव की पंचायत की भूमि पट्टे पर देने के लिए आवश्यकता के आधार पर कोई प्रावधान तैयार किया जाए।

vii. यह निश्चित किया जाए कि दलितों के लिए आरक्षित भूमि की नीलामी केवल दलितों के उपयोग के लिऐ ही की जाए। इसके लिऐ कोई भी असावधानी न बर्ती जाए।

viii. उन पंचायतों पर वित्तीय दंड़ लगाया जाए जहां पंचायत की भूमि का दुरूपयोग हो और गाँव के उस चुने हुए सरपंच और संबंधित ब्लॉक विकास अधिकारी को जिम्मेवार ठहराया जाए।

ix. एक उपयोगी भूमि सुधार प्रणाली तैयार करने के लिए कार्यक्रम बनाया जाए।

x. प्रचलित बाजार भाव पर भूमि को किराए पर देने के लिए 'पंजाब भूमि अवधि सुरक्षा अधिनियम, 1953' (पीएसएलटीए) में संशोधन किया जाऐ।

5. बिजली और पानी

पानी कृषि के लिए सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है। जलस्तर लगातार घटता जा रहा है और पानी को निकालते रहने से पर्यावरण और आर्थिक दृष्टि से अधिक समय तक इसे बचा पाना कठिन है। पंजाब के दक्षिण–पश्चिमी भागों में कई जगह पानी के ठहरने और मिट्टी के खारा होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसीलिए सरकार जल का स्तर बनाए रखने के लिऐ निम्नलिखित पर ध्यान देगी:

i. सतह और भूमि के जल का सामूहिक और अधिकतम उपयोग को नियंत्रित करने के लिऐ एक राज्य जल नीति बनानी होगी।

ii. नहरों की सिंचाई प्रणाली के रख–रखाव के लिए अबियाना (जल प्रभार) लगाना होगा। दूर–दूर तक जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी नहरों से निकलने वाले जल की निगरानी करनी होगी और इसकी पुनः तैयारी करनी होगी ताकि केवल प्राधिकृत जल का ही उपयोग किया जा सके।

iii. नहरों के पानी की चोरी को रोकने का कानून सख्ती से लागू करना होगा। मंडलीय नहर के अधिकारी को उसके क्षेत्र में पानी की चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए।

iv. अंडर–ग्राउंड पाईपलाइन बिछाने का कानून लागू किया जाए ताकि जल का उपयोग कुशलता से और बुद्धि–पूर्वक किया जा सके।

v. कृषि संबंधी उन्नत तकनीक का उपयोग करके जल उपयोग की क्षमता बढ़ाई जाए, जैसे सूक्ष्म सिंचाई और फर्टिगेशन प्रणाली का उपयोग किया जाए जो सौर ऊर्जा से कार्य करे।

vi. वॉटर–शैड के आधार पर भूमि और जल–संसाधनों की व्यवस्था की जाए। जल संचयन का निर्माण विशेषकर कांडी क्षेत्र में, वर्षा के जल का संरक्षण यथा स्थान किया जाए। जल निकासी के कार्य किए जाए जिसमें भूमि कटाव को रोकने के लिऐ वनस्पतिक और ईंजीनियरिंग ढांचा निर्मित किया जाए।

vii. प्राकृतिक और मानव निर्मित वॉटर–बॉडीज को बढावा दिया जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में भूजल को भंडारित करने पर महत्व दिया जाए।

viii. राज्य के वर्तमान नालों और नहरों का रख–रखाव ढंग से किया जाए। नहरों को समतल किया जाए, हैडवर्क्स सहित नहरों की विनियमन प्रणाली को आधुनिक बनाया जाए।

ix. गुणवत्ता और बेकार अवशेषों का पता लगाने के लिए नहरों के जल की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

x. सिंचाई के लिऐ व्यर्थ जल को रीसाइक्लिंग करना होगा। बेकार और दूषित पानी को प्राकृतिक नदी–नालों और नहरों में डालने की अनुमति नहीं दी जाए।

xi. वे सभी उद्योग जो जल को दूषित करते हैं, उनके लिऐ उपचार संयत्र लगाना अनिवार्य किया जाए।

xii. भूमि जल का उपयोग घटाने के लिए बिजली पर दी जाने वाली अत्यधिक छूट पर विचार किया जाए। बिजली की आर्थिक सहायता केवल उनको दी जाए जो किसान आयकर नहीं देते हैं।

xiii. जिन किसानों के पास 4 हेक्टेयर अथवा अधिक भूमि है, उन पर प्रारंभ में रू. 100 की दर से प्रति बीएचपी मासिक का समान भाव तय किया जाए और इसका उपयोग छोटे, मझौले और भूमिहीन किसानों के लिए किया जाए। इसके पश्चात ऐसे किसानों के लिए बिजली पर आर्थिक सहायता देने की राशि की सीमा पर पुनः विचार किया जाए।

xiv. एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में बिजली पर आर्थिक सहायता देने के विकल्पों का पता लगाया जाए।

xv. मुफ्त आवासीय बिजली की सुविधा केवल ग्रामीण समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को ही दी जाए।

6. फसलें

फसलों का उत्पादन बढ़ाना किसानों का प्रमुख आर्थिक कार्य है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आर्थिक और पर्यावरण दृष्टि से विविधिकरण पर बल देने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए सरकार निम्नलिखित पर ध्यान देगी:

i. सुसंगत प्राकृतिक मांग और बाजार की मांग के आधार पर एक क्षेत्र आधारित फसल उत्पादन योजना तैयार करे ताकि विभिन्न विभागों का पूरा निवेश और प्रयास सरकारी उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग दें। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों को इन्हीं योजनाओं के अनुसार आबंटित किया जाए।

ii. एक स्थायी प्रणाली पहल के रूप में कृषि पर्यावरण प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जाए।

iii. जैविक कृषि को बढ़ावा दें और कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों द्वारा जैविक कृषि संबंधी सभी कार्यों और गतिविधियों को मिलाया जाए। जैविक कृषि के लिए प्रमाणीकरण को प्रोत्साहित किया जाए।

iv. घटिया किस्म के कृषि उपकरणों की बिक्री पर रोक लगाएं और इस कार्य के लिए एक राज्य कानून बनाया जाए।

v. राज्य में केवल उन कीटनाशकों के उपयोग की अनुमति दी जाए जिन्हें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सुझाई गई पद्धतियों के पैकेज में शामिल किया गया है।

vi. सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक खेत के लिए भूमि स्वास्थ्य कॉर्ड तैयार किऐ जाएं और किसानों को राज्य की भूमि और फसल के आधार पर उर्वरकों का सही उपयोग करने की शिक्षा दी जाए। रसायनिक और जैविक उर्वरकों के समान और संयुक्त उपयोग को बढ़ावा दिया जाए ताकि भूमि की उर्वरता बनी रहे। फसल उत्पादकता बढ़ाने, कीट नियंत्रण और पानी का कम उपयोग करने के लिऐ माईक्रोबीयोम जैसी नई तकनीक की शुरूआत कि जाए।

vii. सभी मुख्य फसलों के लिए समेकित कीट और रोग प्रबंधन मापदंड बनाए जाएं ताकि राज्य में कृषि रसायनों के उपयोग को 10 प्रतिशत वार्षिक घटाया जा सके।

viii. राज्य में बेचे जाने वाले बीजों के उचित प्रमाणीकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक अलग बीज नीति तैयार की जाए। राज्य की बीज एजेंसियों को मजबूत बनाया जाए और उन्हें पशुओं के चारे का उत्पादन करने के साथ–साथ बीजों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उच्च पैदावार की किस्म/हाईब्रिड़ के बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका का विस्तार किया जाए।

ix. किसानों को अच्छी गुणवत्ता और रोग मुक्त पौध सामग्री की उपलब्ध कराने के लिऐ 'रोपण सामग्री और पौधशाला अधिनियम 1961' में संशोधन किया जाए।

x. फल और सब्जियां उगाने के लिए इस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाए कि यह किसानों के लिए एक निश्चित आय और लाभकारी उद्योग बन सके, इसके लिए सामूहिक खेती और समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाए।

xi. पुष्पोत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि किसानों की आय और रोजगार के अवसर बढ़ें। फूलों के निर्यात को भी प्रोत्साहित किया जाए।

xii. न केवल कृषि को बचाए रखने के लिए, बल्कि किसानों की आजीविका में सुधार के लिए भी मधुमक्खी पालन का प्रचार किया जाए।

xiii. संरक्षित कृषि खेती को केवल उन क्षेत्रों में ही बढ़ावा दिया जाए जहां पर्याप्त मात्रा में कुशल मानव क्षमता उपलब्ध हो और वह किसानों को इसका प्रशिक्षण दें और उनकी सहायता कर सकें।

xiv. राज्य में कृषि वनोपज को बढ़ावा दिया जाए, विशेषकर तलहटी क्षेत्रों में, जलभराव वाले और जहां पानी में खारापन है।

7. पशु पालन, मछली पालन और अन्य

सरकार जानती है कि पशुधन के विकास पर अधिक बल देकर किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। पशुपालन उद्योग में इतनी क्षमता है कि यह बढ़ी संख्या में किसानों के लिए स्व–रोजगार के अवसर बढ़ा सकता है। इसीलिऐ सरकार निम्नलिखित प्रयास करेगी:

i. पंजाब के भावी डेरी पशु के रूप में अनुसंधान और विकास के माध्यम से उच्च जनन गुणवत्ता की भैंसों को पालने पर विशेष ध्यान दिया जाए। मांस के लिए भैंसा इत्यादि का सही उपयोग करने से किसानों की आर्थिक दशा में सुधार होगा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

ii. विद्यमान पशुओं के स्थान पर उच्च जनन शक्ति वाली बछिया की नर्सरी तैयार की जाए ताकि पहले बछड़े/बछिया इत्यादि को जन्म देने की आयु 8–9 महीने की हो जाए।

iii. ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन रहित गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार के लिऐ बकरी पालन पर जोर दिया जाए।

iv. विविधिकरण, रोजगार उत्पन्न करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिऐ सूअर पालन को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

v. आंगन में मुर्गी पालन आदि के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए और इस कार्य के लिए उपयुक्त नस्लों की मुर्गियों को शामिल किया जाए।

vi. पंजाब को बढ़िया जनन गुणवत्ता के बैल और भैंसा तथा इनके शुक्राणु का केन्द्रीय भंडार बनाया जाए। इस कार्य को, उच्च वर्ग की गाय और भैंसों की पहचान करके और चुनने के माध्यम से किसानों की भागीदारी से इन्हें तैयार किया जाए।

vii. राज्य के पशुधन का सामूहिक पंजीकरण किया जाए ताकि जनन संख्या बढ़े और यह करने के लिए इनकी पहचान की जाए और कम से कम ऐंटीबॉयोटिक का उपयोग किया जाए।

viii. राज्य में विद्यमान पशुओं के अस्पताल और डिस्पैंसरियों में सुधार किया जाए। नए–नए पाठ्यक्रम और अनिवार्य मिड–केरियर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से पशुचिकित्सकों, अधिकारियों और सहायकों की संख्या बढ़ाई जाए।

ix. पशुओं की हानि रोकने के लिए आदर्श निदान प्रणाली का उपयोग करते हुए प्रमुख संक्रामक रोगों के लिए किसानों के घरों में जाकर पशुओं की नियमित जांच की जानी चाहिए। पशुओं के लिए नियमित और अनिवार्य टीकाकरण की सुविधा दी जाए ताकि पंजाब को एक रोग मुक्त राज्य बनाया जा सके।

x. रोगों के उचित उपचार के लिए टीकों के लिए भंडारण सुविधा और कोल्ड–चैन बनाना सुनिश्चित किया जाए।

xi. एक कानून बनाकर पशुओं के चारे की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखा जाए। पशुओं के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार खनिज मिश्रण की खुराक उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएं।

xii. पशुओं के लिए हरा चारा और घासफूस के संरक्षण की नई विधियों को लोकप्रिय बनाया जाए।

xiii. पानी वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली खेती को बढ़ावा दिया जाए और राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिलों में नमकीन पानी से प्रभावित, जलभराव, कम उत्पादकता या उत्पादकताहीन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

xiv. मछली के अंडों का उत्पादन करने के लिए अपेक्षित मछली के अंडे की उत्पतिशाला और कुशल लोगों जैसी आधारभूत सुविधाएं देकर अच्छी गुणवत्ता के मछली के अंडों की उपलब्धता बढ़ाई जाए। राज्य में इन अंडों को रखने के लिए एक स्टॉकबैंक बनाया जाए और अंडों की उत्पतिशाला और इन्हें रखने के लिए ढांचागत सुविधा और पंजीकरण एवम् सत्यापन करने की सुविधाएं तैयार की जाएं।

xv. कसाईखानों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित किया जाए, कसाईयों की दुकानों के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, बुचड़खाने के अपशिष्ट (वैस्ट) का उपयोग करें और यहां बनने वाले उत्पादों में सुधार किया जाए।

xvi. पशुधन के अपशिष्ट की व्यवस्था सहित मांस की गुणवत्ता की जांच के लिए उच्च पैमाने और विकसित पद्धतियों को कड़ाई से लागू किया जाए।

xvii. पूरे राज्य में निष्पादन यूनिट की स्थापना करना और प्रोत्साहित करना।

xviii. राज्य के विभागों और एजेंसियों को आदेश दें कि वे 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं और कृत्रिम गर्भाधान सुविधाएं उपलब्ध कराएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि पशुओं के

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2018-20
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं० U(C)-92/2018-20

प्रकाशन की तिथि : 1 अगस्त, 2018
नई दिल्ली पी.एस.ओ, नई दिल्ली–1,
तारीख 4 एवं 5, अगस्त 2018

प्रत्येक अस्पताल में एक सही कार्यात्मक निदान लैबोरेट्री हो और प्रत्येक पॉलीक्लीनिक में एक सुव्यवस्थित छोटी निदान लैबोरेट्री हो ताकि पशुओं के रोगों की समय पर पहचान करके उनका इलाज हो सके।

xix. राज्य भर में पशुओं को लाने–लेजाने के लिए एक व्यवस्थित परिवहन सुविधा हो।

xx. गाय पर उपकर लगाया जाए और इस राशि का उपयोग आवारा पशुओं के संकट को दूर करने में किया जाए।

तृतीय भाग अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

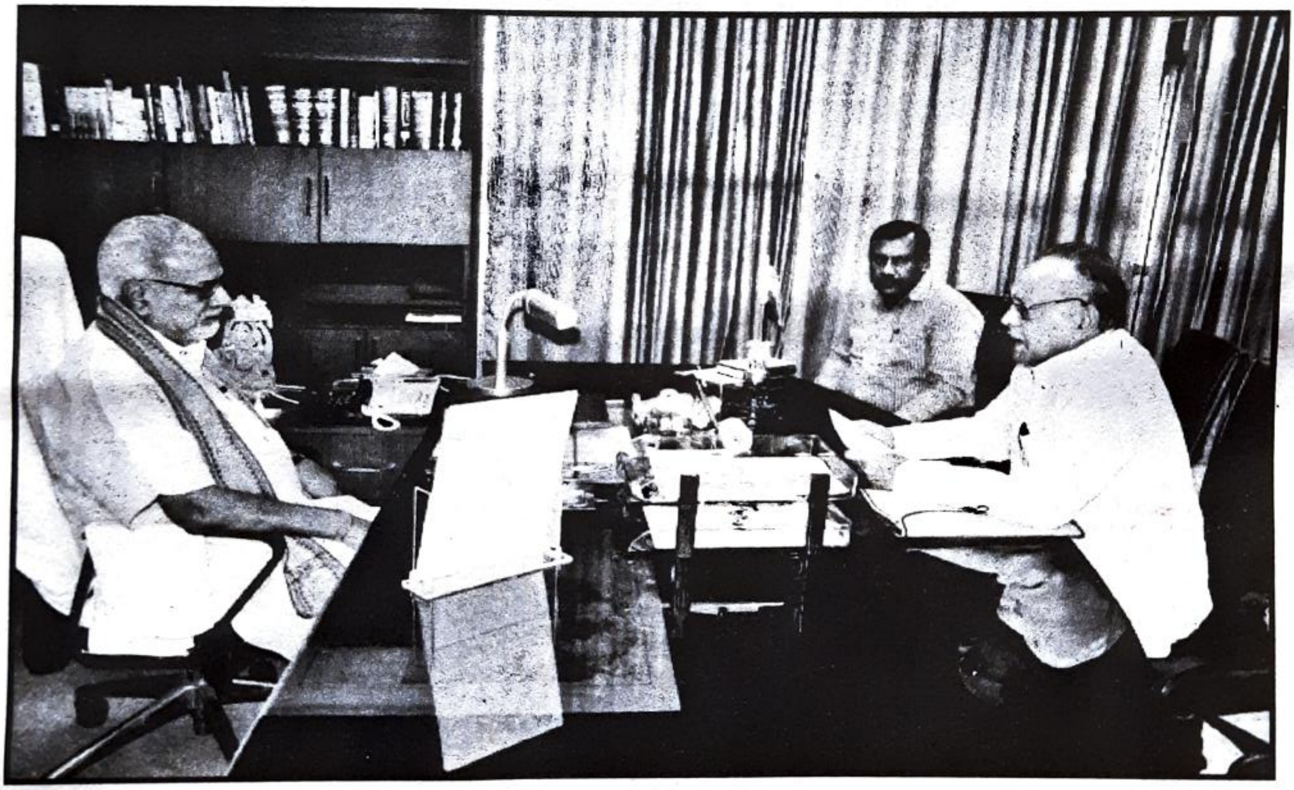

डॉ० पी.सी. मोहन्ती, गर्विनंग बॉडी सदस्य, भारत कृषक समाज, (ओड़िशा) ने प्रोफैसर गणेशी लाल जी, गर्वनर, ओड़िशा राज्य के साथ मुलाकात करी तथा उन्हें किसानों की समस्याओं के संबंध में एक ज्ञापन भी भेंट किया। गर्वनर जी ने डॉ० मोहन्ती को आश्वासन दिया कि सरकार इस संबंध में जल्द से जल्द निवारण करेगी।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–24359509, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, वैबसाईटः www.farmersforum.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।